रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/98 REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 323] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 26, 1998/भाद्र 4, 1920
No. 323] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 26, 1998/BHADRA 4, 1920

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1998

सा. का. नि. 525 (अ).—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में मुरगांव पत्तन न्यास कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 1998 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

अनुसूची

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 124 (1) तथा (2) के साथ पठित धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुरगांव पत्तन के न्यासियों का मंडल मुरगांव पत्तन कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1964 का संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. (i) ये विनियम, मुरगांव पत्तन कर्मचारी (आचरण) (संशोधन) विनियम 1998 कहलाएंगे।

(ii) ये विनियम उस तारीख से लागू होंगे जिस तारीख को सरकार की मंजूरी को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है ।

9. मुरंगाव पत्तन कर्मचारी (अचारण) विनियम, 1964 की विद्यमान धारा 3 में निम्नलिखित उप-धारा 3(ख) को जोड़ा जाए।

3 (ख) कामकाजी महलाओं के यौन उत्पीडन का निषेध।

(i) कोई भी कर्मचारी कार्यस्थल में किसी भी महिला के साथ यौन उत्पीडन का कार्य नहीं करेगा।

(ii) कार्य स्थल में किसी भी महिला के साथ होने वाले यौन उत्पीडन को रोकने के लिए संबंधित प्रत्येक कर्मचारी,जो कार्यस्थल का प्रभारी है, को उचित कदम उठाने होंगे।

स्पष्टीकरण:—इस विनियम के प्रयोजन हेतु, यौन उत्पीडन में ऐसे अवांछनीय यौन आचरण, चाहे प्रत्यक्ष अथवा अन्य प्रकार से सम्मिलित हैं, जैसे—

(क) शारीरिक स्पर्श तथा अति कर्म ;

(ख) यौन इच्छा की मांग अथवा अनुरोध करना ;

(ग) यौन रंजित टिप्पणियां;

(घ) अश्लील साहित्य दिखलाना अथवा

(ङ) यौन प्रकृति के अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक अथवा अमौखिक आचरण ।

[फा. सं. पी.आर.-12016/27/98 पी ई-I]

के.वी. राव, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी :—मूल विनियम भारत के सरकारी राजपत्र में दिनांक 01-07-1964 से प्रभावी हुआ था तथा अनुवर्ती संशोधन इस प्रकार से हैं :—

(1) सा.का.नि. सं. 668 (ई) दि. 1-6-86

(2) सा.का.नि. सं. 878 (ई) दि. 4-10-89

(3) सा.का.नि. सं. 82 (ई) दि. 23-2-93

(4) सा.का.नि. सं. 594 (ई) दि. 31-12-96.

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 1998

G.S.R. 525(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of Section 124, read with Sub-section (i) of Section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Mormugao Port Employees (Conduct) Amendment Regulations 1998 made by the Board of Trustees for the Port of Mormugao and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazettte.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by Section 28 read with Section 124(1) and (2) of Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) the Board of Trustees of the Port of Mormugao hereby makes the following regulations to amend the Mormugao Port Employees (Conduct) Regulations, 1964 namely :—

(1) (i) These Regulations may be called the Mormugao Port Employees (Conduct) (Amendment) Regulations, 1998.

(ii) They shall come into force with effect from the date of publication of Govt. sanction in the Gazette of India.

(9) Add the following new sub-section 3(b) to the existing section 3 of Mormugao Port Employees (Conduct) Regulations, 1964.

3(b) : PROHIBITION OF SEXUAL HARASSMENT OF WORKING WOMEN :

(i) No employee shall indulge in any act of sexual harassment of any woman at her work place.

(ii) Every employee who is in charge of a work place shall take appropriate steps to prevent sexual harassment to any woman at such work place.

EXPLANATION : For the purpose of this regulation, sexual harassment, includes such unwelcome sexually determined behaviour, whether direct or otherwise as —

(a) Physical contact and advances;

(b) Demands or request for sexual favours;

(c) Sexually coloured remarks;

(d) Showing any pornography or

(e) Any other unwelcome physical verbal or non verbal conduct of a sexual nature.

[F. No. PR-12016/27/98-P.E.I.]

K.V. RAO, Jt. Secy.

Foot Note : Principal Regulation had come into effect from 01-07-1964 in the Official Gazette of India and subsequent amendments were :

(1) GSR No. 668(E) of 1-6-86

(2) GSR No. 878(E) of 4-10-89

(3) GSR No. 82(E) of 23-2-93

(4) GSR No. 594(E) of 31-12-96

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—1998